अनुबंध-II

वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति

1. उद्देश्य:-

बैंक लाभांश भुगतान योजनाओं के प्रति एक सुसंगत दृष्टिकोण बनाए रखने और लाभांश भुगतान तथा कारोबार में धारित लाभ की मात्रा के बीच तालमेल रखने का प्रयास करेगा।

2. बोर्ड निगरानी:

लाभांश घोषणा/भुगतान एक महत्वपूर्ण निर्णय है चूंकि यह इसके सभी हितधारकों को प्रभावित करता है। इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करते समय, बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लागू पूंजी आवश्यकताओं और प्रावधानों की पर्याप्तता की तुलना में बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी स्थिति पर विचार कर रहा है। अतः, बैंक का बोर्ड लाभांश की घोषणा के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श और निर्णय करते समय सभी हितधारकों के हितों और निम्नलिखित आंतरिक और बाहरी कारकों को ध्यान में रखेगा: -

2.1 **बाह्य कारक:**

2.1.1 **समष्टि आर्थिक परिदृश्य:**

कमजोर आर्थिक परिदृश्यों, औद्योगिक वातावरण और कारोबारी परिस्थितियों के मामले में, बोर्ड भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु उचित प्रबंधन करने के लिए लाभ के बड़े हिस्से को बनाए रखने का प्रयास करेगा।

2.1.2 **वैधानिक दायित्व:**

बैंक विशेष रूप से सीआरएआर और एनपीए स्तरों के संदर्भ में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रयास करेगा और साथ ही इस नीति दस्तावेज़ में उल्लिखित लाभांश की घोषणा के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और सेबी दिशानिर्देशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन करेगा।

2.2 **आतंरिक कारक:**

2.2.1 भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश
2.2.2 एनपीए की पहचान में अंतर, प्रावधान में कमी आदि के संबंध में आरबीआई के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के निष्कर्ष
2.2.3 वित्तीय विवरणों में लेखापरीक्षकों की योग्यता, यदि कोई हो।
2.2.4 बेसल III पूंजी आवश्यकताएं।
2.2.5 बैंक की दीर्घकालिक विकास योजनाएं।
2.2.6 बैंक की अनुषंगियों/सहयोगियों में नया निवेश या अतिरिक्त निवेश

3. **पात्रता मापदंड :**

3.1 आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04 मई 2005 के अनुसार, बैंक को लाभांश की घोषणा के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित करना चाहिए:

3.1.1 पिछले दो पूर्ण वर्षों के लिए लागू कम से कम 9% और सीसीबी का सीआरएआर तथा वह लेखा वर्ष जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है।

3.1.2 7% से कम शुद्ध एनपीए:
यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन उसके पास उस लेखा वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर है, जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्ते उसका शुद्ध एनपीए अनुपात 5% से कम हो।

3.1.3 बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 और धारा 17 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

धारा 15 :कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने शेयरों पर तब तक लाभांश का भुगतान नहीं करेगी जब तक कि उसके सभी पूंजीगत व्यय (प्रारंभिक व्यय, संगठन व्यय, शेयर-बिक्री कमीशन, दलाली, हानियों की मात्रा और व्यय की कोई अन्य मद जो मूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कि जाती है) को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

उप-धारा (1) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में निहित के कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, एक बैंकिंग कंपनी अपने शेयरों पर बिना बट्टे खाते में डाले लाभांश का भुगतान कर सकती है-

i) किसी भी मामले में अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, जहां इस तरह के मूल्यह्रास को वास्तव में पूंजीकृत नहीं किया गया है या अन्यथा नुकसान के रूप में गिना जाता है;

ii) किसी भी मामले में शेयरों, डिबेंचर या बांड (अनुमोदित प्रतिभूतियों के अलावा) में अपने निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, जहां बैंकिंग कंपनी के लेखा परीक्षक की संतुष्टि के लिए इस तरह के मूल्यह्रास के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है;

iii) खराब ऋण, यदि कोई हो, किसी भी मामले में जहां बैंकिंग कंपनी के लेखा परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार ऐसे ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

धारा 17 :भारत में निगमित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी एक आरक्षित निधि बनाएगी और धारा 29 के तहत तैयार किए गए लाभ और हानि खाते में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष में से और किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले, ऐसे लाभ से आरक्षित निधि में एक राशि का अंतरण करेगी जो बीस प्रतिशत से कम न हो ।

उप-धारा (1) में वर्णित किसी भी तथ्य के बावजूद, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर और अपनी जमा देनदारियों के संबंध में एक बैंकिंग कंपनी की प्रदत पूंजी और आरक्षित राशि की पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, लिखित में आदेश घोषित कर सकती है कि उपधारा (1) के प्रावधान बैंकिंग कंपनी पर उस अवधि के लिए लागू नहीं होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है :

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि इसे किए जाने के समय, उप-धारा (1) के तहत आरक्षित निधि में राशि, शेयर प्रीमियम खाते में राशि के साथ, बैंकिंग कंपनी की प्रदत पूंजी से कम नहीं है ।

3.1.4 बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जिसमें आस्तियों की हानि और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक आरक्षित में लाभ का अंतरण, निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित राशियाँ आदि शामिल हैं। आरबीआई के परिपत्र संदर्भ संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के संदर्भ में**,** बैंक को निम्न में से अधिक राशि के लिए एक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित कोष (आईएफआर) बनाना है**:**

(ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ
(बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ से कम अनिवार्य विनियोग

जब तक आईएफ़आर की राशि निरंतर आधार पर एचएफ़टी और एएफ़एस पोर्टफोलियो के कम से कम 2 प्रतिशत न हो।

3.1.5 प्रस्तावित लाभांश उस वर्ष के लाभ में से देय होना चाहिए जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है।

3.1.6 लाभांश की घोषणा के लिए रिज़र्व बैंक को बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए ।

3.2 आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2015-16/58 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 के तहत जारी बेसल III पूंजी विनियमों के अनुसार, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को 31 मार्च, 2016 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 31 मार्च, 2019 तक पूरी तरह से लागू किया जाएगा। आरबीआई ने 19 नवंबर, 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625% की अंतिम किश्त को लागू करने के लिए अंतरण अवधि को एक वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च, 2020 तक विस्तार की अनुमति दी है । पुनः इसे दिनांक 29 सितंबर, 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 01 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दिया गया है । आरबीआई ने परिपत्र संख्या. डीओआर.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 दिनांक 05 फरवरी, 2021 के माध्यम से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को 01अप्रैल, 2021 से 01 अक्टूबर, 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है और वही अब लागू है। तद्नुसार 1 अक्टूबर, 2021 से पूंजी की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

विवरण	**(जोखिम भारित आस्तियों का %)**
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1)	5.5
पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)	2.5
न्यूनतम सीईटी1+ सीसीबी	8
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1.5
न्यूनतम टियर 1 पूंजी	7
टियर 2 पूंजी	2
न्यूनतम कुल पूंजी*	9
न्यूनतम कुल पूंजी +सीसीबी	11.5

* 9% के न्यूनतम कुल पूंजी आवश्यकता और टियर 1 आवश्यकता के बीच अंतर को टियर 2 और पूंजी के उच्चतर रूप से पूरा किया जा सकता है;

3.2.1 हालांकि, आगे यह भी कहा गया है कि यदि बैंक ने न्यूनतम सीईटी 1 (5.50%) और टियर 1 पूंजी (7.00%) के साथ समेकित किया है, तो अतिरिक्त टियर 1 पूंजी को कुल पूंजी (9.00%) की गणना के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सीईटी-1 का एक हिस्सा होगा जो उपरोक्त न्यूनतम सीईटी-1 से अधिक होगा।

3.2.2 यदि पूंजी का स्तर इस सीमा के अंदर है तो बैंकों को पूंजी (अर्थात किसी भी रूप में लाभांश या बोनस का भुगतान) का वितरण नहीं करना चाहिए ।

3.3 प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) दिशानिर्देशों का प्रभाव:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.71/21.06201/2014-15 दिनांक 05.02.2015 द्वारा प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) की रूपरेखा तैयार की गई थी। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब भी परिस्थितियों के लिए आवश्यक होगा, सीसीसीबी सक्रिय हो जाएगा और यदि वे प्रतिचक्रीय पूंजी बफर जो पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की आवश्यकता का विस्तार है की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं तो बैंक विवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंधों के अधीन होगा (जिसमें लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और स्टाफ बोनस भुगतान शामिल हो सकते हैं) । सीसीसीबी के निर्णय की आम तौर पर पूर्व-घोषणा 4 तिमाहियों के समय के साथ की जाएगी। तथापि, सीसीसीबी संकेतकों के आधार पर, बैंकों को कम समय में अपेक्षित बफर बनाने की सलाह दी जा सकती है। सीसीसीबी को सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी या अन्य पूरी तरह से हानि अवशोषित पूंजी के रूप में ही बनाए रखा जा सकता है, और सीसीसीबी की राशि बैंकों की कुल जोखिम भारित संपत्ति (आरडब्ल्यूए) के 0 से 2.5% तक भिन्न हो सकती है। इस समय सीसीसीबी ढांचा सक्रिय नहीं है।

इस प्रकार वर्तमान में बैंक को पैराग्राफ के पहले भाग में उल्लिखित सीसीबी दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है और तदनुसार, बैंक तभी लाभांश घोषित करने में सक्षम हो सकता है जब सीईटी 1 वर्तमान अवधि की प्रतिधारित आय सहित 8.0% (यथा 01.10. 2021) से अधिक अन्यथा पूंजी का संरक्षण करने की आवश्यकता है।

3.4 त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पीसीए)

3.4.1 आरबीआई द्वारा डीओएस.सीओ.पीपीजी एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021 के माध्यम से परिचालित संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के संदर्भ में दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी, पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और वृद्धि को ट्रैक करने के लिए सीआरएआर/सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात (कोर इक्विटी पूंजी, विनियामक समायोजनों का निवल का प्रतिशत में कुल जोखिम भारित आस्तियों से, जैसा कि आरबीआई बेसल III दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) शुद्ध एनपीए अनुपात (शुद्ध एनपीए से निवल अग्रिम का प्रतिशत) और टियर 1 लिवरेज अनुपात संकेतक होंगे ।

3.4.2 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किसी भी जोखिम सीमा का उल्लंघन करने पर पीसीए लागू होगा और यह अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा लाभांश वितरण/लाभ के प्रेषण पर प्रतिबंध सहित विभिन्न अनिवार्य कार्रवाइयाँ ट्रिगर करेगा:

क्षेत्र	सूचक	प्रारंभिक सीमा 1	प्रारंभिक 2	प्रारंभिक 3
पूंजी (सीआरएआर या सीईटी 1 अनुपात का उल्लंघन)	सीआरएआर- पूंजी से जोखिम संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम नियामक नुस्खा + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) और/या सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात (सीईटी 1 पीएसटी) + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के नियामक पूर्व-निर्दिष्ट कार्रवाई	संकेतक के नीचे 250 बीपीएस तक संकेतक के नीचे 162.50 बीपीएस तक	250 बीपीएस से अधिक लेकिन संकेतक के नीचे 400 बीपीएस से अधिक नहीं नीचे 162.50 बीपीएस से अधिक लेकिन 312.50 बीपीएस से अधिक नहीं संकेतक	निर्धारित संकेतक के नीचे 400 बीपीएस से अधिक संकेतक से नीचे 312.50 बीपीएस से अधिक
कुल सीआरएआर	वर्तमान में आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 11.50% (1 अक्टूबर, 2021 को 9% न्यूनतम कुल पूंजी और सीसीबी का 2.50%)	<11.50% लेकिन>= 9.0%	<9.0% लेकिन>=7.50%	-
	वर्तमान में आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 8.0% (1 अक्टूबर, 2021 को सीसीबी का 5.5% और 2.50%)	<8.0% लेकिन>= 6.375%	<6.375% लेकिन>=4.875%	<4.875%
आस्ति गुणवत्ता	शुद्ध गैर-निष्पादित अग्रिम (एनएनपीए) अनुपात	>=6.0% लेकिन <9.0%	>=9.0% लेकिन<12.0%	>= 12.0%
लीवरेज	विनियामक न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात	नियामक न्यूनतम से 50 बीपीएस नीचे	50 बीपीएस से अधिक लेकिन नियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक नहीं	नियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक

3.4.3 अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाई:

विनिर्देश	अनिवार्य कार्रवाई	विवेकाधीन कार्रवाई
जोखिम सीमा 1	लाभांश वितरण/लाभ के प्रेषण पर प्रतिबंध पूंजी लाने के लिए प्रमोटर/मालिक/माता-पिता (विदेशी बैंकों के मामले में)	सामान्य सूची • विशेष पर्यवेक्षी कार्रवाइयां • रणनीति संबंधित • शासन संबंधी • पूंजी संबंधी • क्रेडिट जोखिम संबंधित • बाजार जोखिम संबंधित • एचआर संबंधित • लाभप्रदता संबंधित • परिचालन/व्यापार से संबंधित • कोई दूसरा
जोखिम सीमा 2	सीमा 1 की अनिवार्य कार्रवाई के अलावा, शाखा विस्तार पर प्रतिबंध; घरेलू और/या विदेशी,	
जोखिम सीमा 3	सीमा 1 और 2 की अनिवार्य कार्रवाइयों के अलावा, i. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन के अलावा पूंजीगत व्यय पर उचित प्रतिबंध।	

4. **समामेलन आरक्षित राशि**

आरबीआई ने अपने पत्र संदर्भ डीओआर.सीओ.बीपी.नं 1873/21.01.002/2020-21 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया है कि पूंजी संरक्षण बफर फ्रेमवर्क के तहत जब तक कि बैंक विलय के बाद के शुरुआती बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त समामेलन रिजर्व के बराबर राशि के हस्तांतरणकर्ता बैंक की शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए वृद्धिशील प्रावधान नहीं करता है तब तक विवेकाधीन भुगतान (लाभांश भुगतान और एटी-1 बांड के कूपन का भुगतान सहित) के लिए सीईटी-1 पूंजी के लिए नियामक गणना के लिए समामेलन रिजर्व की गणना नहीं की जाएगी।

5. **प्रदत लाभांश की मात्रा**

5.1 यदि बैंक उपरोक्त पैरा 3.1 और 3.2 में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करता है, तो वह निम्नलिखित के अधीन लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकता है:

5.1.1 प्रदत लाभांश अनुपात 40% से अधिक नहीं होगा और सीआरएआर और शुद्ध एनपीए मूल्यों के आधार पर निम्न सीमा के अधीन होगा:

श्रेणी	**सीआरएआर**	**शुद्ध एनपीए अनुपात की सीमा**			
		शून्य	**> शून्य लेकिन 3% से कम**	**3% से <5% तक**	**5% से <7% तक**
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
ए	पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 9% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	केवल चालू वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

5.1.2 असाधारण लाभ/आय को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

5.1.3 वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिसके लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होना चाहिए, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

6. वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिशानिर्देश

6.1 बैंक वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का भी पालन करेगा जो वर्तमान में निम्नानुसार हैं ।

6.1.1 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार, उनके संचार एफ.सं.10/3/2010-बीओए दिनांक 18 जनवरी 2013 के माध्यम से, बैंकों को अपनी इक्विटी के न्यूनतम 20% लाभांश का भुगतान करना आवश्यक है (अर्थात प्रदत पूंजी) या कर पश्चात लाभ का 20%, जो भी अधिक हो।

6.1.2 एमओएफ ने लाभांश की घोषणा पर संदर्भ संख्या एफ.सं.10/4/2021-बीओए. । दिनांक 04 जून, 2021 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी भी नियामक दिशानिर्देशों के अधीन है और, इसलिए, पूर्व विशेष अनुमति केवल तभी मांगी जा सकती है जब भुगतान किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक न्यूनतम से कम हो और साथ ही नियामक दिशानिर्देशों के तहत स्वीकार्य हो।

6.1.3 किसी भी अंतरिम लाभांश की घोषणा करने के लिए उपरोक्त सभी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा। यदि बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लेता है, तो वार्षिक परिणाम के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, जहां इस नीति का कोई विशिष्ट प्रावधान केंद्र सरकार, आरबीआई या किसी अन्य नियामक के किसी निर्देश, अधिसूचना, दिशानिर्देशों के विरोध में है, तो उक्त निर्देश, अधिसूचना, दिशानिर्देश मान्य होंगे।

6.1.4 लाभांश का निर्णय और घोषणा करते समय, आरबीआई के निर्देशों और भारत सरकार के निर्देशों दोनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि बैंक भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने की स्थिति में नहीं है तो इस संबंध में वित्त मंत्रालय से विशिष्ट छूट मांगी जाती है ताकि आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन किया जा सके ।

7. रिपोर्टिंग प्रणाली

लाभांश घोषित करने पर बैंक, लाभांश की घोषणा के 15 दिनों के भीतर लेखा वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण आरबीआई को रिपोर्ट करेगा।

8. आशोधन और समीक्षा

प्रतिवर्ष इस नीति की समीक्षा की जाएगी और उन दिशानिर्देशों/निर्देशों को प्रभावी करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जा सकता है और तदनुसार संशोधित किया जा सकता है।

यह नीति वर्ष 2022-23 के लिए वैध रहेगी और इसकी वैधता को एसीबी/बोर्ड द्वारा लंबित समीक्षा/नवीकरण के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के विशिष्ट अनुमोदन के साथ आगे तीन महीने की अवधि के लिए तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।